



2026:AHC:124987

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19212 सन् 2026

अनवर खान

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता	:	अक्षय कुमार शुक्ला
विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अक्षय कुमार शुक्ला, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री रोशन कुमार सिंह को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। तथापि, दिनांक 25.05.2026 को संबंधित विवेचना अधिकारी द्वारा सूचना दाता को नोटिस की तामील किए जाने के बावजूद उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
2. यह जमानत आवेदन विचारण के दौरान प्रकरण अपराध संख्या 143 सन् 2026, धारा 65(2), 351(3), 352 भारतीय न्याय संहिता, 5/6 पॉक्सो अधिनियम तथा धारा 3(1) डी, 3(1) डी एच, 3(2)(V) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, थाना चौबेपुर, जनपद वाराणसी में आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के अनुसार, आवेदक ने नशे की अवस्था में पहले सूचना दाता की 13 वर्षीया पुत्री की लज्जा भंग करने का प्रयास किया तथा उसके बाद उसके गुप्तांग में उंगली डालने का भी प्रयास किया। जब उसने शोर मचाया, तब प्रथम सूचना दाता तथा परिवार के अन्य सदस्य उसे बचाने के लिए आए, जिसके पश्चात आवेदक ने उन्हें गालियाँ दीं तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह निर्विवाद है कि पीड़िता की आयु 12 वर्ष से अधिक थी, अतः भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(2) के अंतर्गत उसे मिथ्या रूप से अभियुक्त बनाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अंतर्गत अभिलिखित अपने कथन में पीड़िता ने स्वीकार किया है कि अंतःवस्त्र पहने होने के कारण आवेदक उसकी योनि में उंगली प्रविष्ट नहीं कर सका, यद्यपि उसने ऐसा करने का प्रयास किया था, अतः भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 के अंतर्गत कोई अपराध नहीं बनता। इसके अतिरिक्त, अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो कि आवेदक द्वारा किस प्रकार के जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया था, अतः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत भी कोई अपराध नहीं बनता। यह भी प्रस्तुत किया गया कि वास्तव में आवेदक और पीड़िता के भाई के मध्य विवाद था, जिसके कारण दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से आवेदक को मिथ्या रूप से इस प्रकरण में फँसाया गया है। अंत में यह प्रस्तुत किया गया कि पुलिस द्वारा आरोपपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, अतः अब अभिरक्षात्मक पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनांक 27.03.2026 से कारागार में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा।

4. दूसरी ओर, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का प्रबल विरोध किया, किन्तु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य एवं अभियुक्त की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष लंबित आपराधिक वादों की अत्यधिक संख्या एवं कारागारों में अत्यधिक भीड़ को ध्यान में रखते हुए, साथ ही जमानत प्रदान किए जाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **कपिल वाधवान बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3038** तथा इस न्यायालय द्वारा **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन ऑल 6765** में प्रतिपादित दिशानिर्देशों पर विचार करते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। तदनुसार, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

6. उपर्युक्त अपराध में सम्मिलित आवेदक- **अनवर खान** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन समान धनराशि के दो प्रतिभूतियों सहित व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. आवेदक प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष उन तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे।

ii. आवेदक किसी भी स्थगन की प्रार्थना किए बिना विचारण/अन्वेषण में ईमानदारीपूर्वक सहयोग करेगा।

iii. जमानत पर रिहा होने के पश्चात् आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा तथा किसी भी अपराध का कारित नहीं करेगा।

iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय में उपस्थित होगा।

7. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की दशा में, वह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व, संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक तथा प्रतिभुओं की पहचान, हैसियत एवं निवास संबंधी प्रमाण का सत्यापन किया जाए।
9. संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक तथा प्रतिभुओं के चलभाष क्रमांक तथा आधार पत्र का भी सत्यापन किया जाए।
10. यह निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बी.ओ.एम.एस.) के माध्यम से संबंधित कारागार को रिहाई आदेश प्रेषित करेगा।
11. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति शीर्ष न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान करने की नीति एवं रणनीति, स्वप्रेरणा से याचिका (आपराधिक) संख्या-4 सन् 2021 में पारित, दिनांक 31.01.2023 के निर्णय, जो (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में प्रकाशित है, तथा पीला पाहन @ पिला पाहन एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, याचिका (आपराधिक) संख्या-169 सन् 2025 में दिनांक 29.05.2026 को पारित निर्णय के अनुपालन में, 24 घंटे के भीतर वाराणसी कारागार अधीक्षक को ई-मेल अथवा ई-कारागार पोर्टल के माध्यम से तथा विचारण न्यायालय को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित करे।
12. यदि कोई प्रार्थना-पत्र लंबित हो, तो उसका भी निस्तारण किया जाता है।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

3 जून, 2026

ए.के.आर.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।